अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/633/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 1.11, 2013

सेवा में,

श्री राजेश सरन शर्मा
42, मोतीनगर-बी
कटेवा नगर चौराहा, सोडाला
जिला-जयपुर-302019

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 18;09.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 30.10.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत को इस मंत्रालय के दिनांक 19.07.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी (पार्ट) द्वारा दिल्ली पुलिस को पहले ही अग्रेषित किया जा चुका है तथा इसलिए, आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued 2630
18/11/13

चित्रा नारायण
(चित्रा नारायण)
अवर सचिव (डी पी-I)

O/C

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

Issued with encl. 2622 (IV)
18/11/13